



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 31.07.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, हत्या के वांछित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना हैदराबाद के नेतृत्व में आज दिनांक 31.07.2022 को थाना हैदराबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना से संबंधित मु०अ०सं० 326/2022 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 नफर वांछित अभियुक्तों श्रीपाल पुत्र परसादी एवं कमलेश पत्नी स्व० मेवालाल को आलाकल एक अदद लकड़ी का डण्डा सहित गिरफ्तार करके अभियुक्तों का चालान मा० न्यायालय भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.07.2022 को तेलियाकुण्डा झाल के पास लेखराम के खेत में अशोक कुमार पुत्र स्व० छोटेलाल नि० ग्रा० तेलियाकुण्डा पो० अहमद नगर थाना हैराबाद जनपद खीरी का शव बरामद हुआ था। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमॉर्टम परीक्षण हेतु भेजा गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हेड इन्जरी होना पाये जाने पर मृतक की पत्नी श्रीमती शान्ती देवी निवासी ग्राम तेलियाकुण्डा की तहरीर पर मु०अ०सं० 326/2022 धारा 302 भा०द०वि० बनाम श्रीपाल पुत्र परसादी निवासी ग्राम हेमपुर थाना हैदराबाद जिला खीरी पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्ता कमलेश पत्नी स्व० मेवालाल निवासी ग्राम तेलियाकुण्डा थाना हैदराबाद जनपद खीरी का नाम प्रकाश में आया। अब तक की तपतीश से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त श्रीपाल, अभियुक्ता कमलेश उपरोक्त व मृतक अशोक कुमार उपरोक्त में त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा आपस में मिलकर अशोक कुमार उपरोक्त की डण्डे से मारकर हत्या कर लाश को लेखराम के खेत में फेंक देने की स्वीकारोक्ति की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.श्रीपाल पुत्र परसादी निवासी ग्राम हेमपुर थाना हैदराबाद जनपद खीरी
- 2.कमलेश पत्नी स्व० मेवालाल निवासी ग्राम तेलियाकुण्डा थाना हैदराबाद जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

आलाकल्ल एक अदद लकड़ी का डण्डा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.निरीक्षक अपराध श्री शशिशेखर यादव, थाना हैदराबाद
- 2.कां० अरविन्द कुमार, थाना हैदराबाद
- 4.कां० देवेश कुमार, थाना हैदराबाद
- 5.म०आ० अंशिका, थाना हैदराबाद

थाना निघासन पुलिस द्वारा, अप्राकृतिक दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त विकास सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी निघासन महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 31.07.2022 को थाना निघासन पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 614/2022 धारा 377/452 भादवि व 5m/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विकास सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह नि0 ग्राम बोरिहा थाना निघासन खीरी को बोरिहा चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विकास सिंह उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विकास सिंह पुत्र लालबहादुर सिंह नि0 ग्राम बोरिहा थाना निघासन खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. निरीक्षक अपराध मनोज कुमार सिंह, कोतवाली निघासन
2. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह (चौकी प्रभारी पढुवा), कोतवाली निघासन
3. का0 छत्रपाल सिंह, कोतवाली निघासन
4. का0 अतुल कुमार, कोतवाली निघासन

थाना निघासन पुलिस द्वारा, दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र पैकरमा को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी निघासन महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 31.07.2022 को थाना निघासन पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 448/22 धारा 376,504,506 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त पंकज पुत्र पैकरमा नि0 ग्राम दुबहा थाना निघासन खीरी को दुबहा चखरा मोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पंकज उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

पंकज पुत्र पैकरमा नि0 ग्राम दुबहा थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 मो0 जुबैर अहमद, कोतवाली निघासन
2. हे0का0 जयप्रकाश यादव, कोतवाली निघासन
3. हे0का0 विकास पवार, कोतवाली निघासन
4. का0 सुमित कुमार, कोतवाली निघासन

थाना मितौली पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त अजय गौतम पुत्र राम प्रसाद गौतम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय गौतम पुत्र राम प्रसाद गौतम को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मितौली पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अजय गौतम पुत्र राम प्रसाद गौतम थाना मितौली जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध चाकू बरामद

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र राम गोपाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त सेवक कुमार पुत्र राम गोपाल को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना फूलबेहड़ पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सेवक कुमार पुत्र राम गोपाल निवासी पूजागांव अषाढ़ी थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध चाकू बरामद

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही निम्नकार्यवाहीकीगईहै:-

1. थाना भीरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 458/21 धारा 354/452/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त अम्बिका प्रसाद पुत्र छोटेलाल थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1485/03 धारा 302 भादवि में वारण्टी अभियुक्तगण 1. नसीर पुत्र बरसू 2. जुम्न पुत्र बसीर निवासीगण बरबर थाना पसगवा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 50 लीटर अवैध शराब बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **50 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02** अवैध शराब भट्टी बरामद कर **03 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **03 अभियोग** पंजीकृत किए गए।